कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 1191 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 20.05.2002

प्रति,

समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः—संपत्ति के स्थल निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3906 / एक / तक / 95 दिनांक 11.10.95 तथा पत्र क्र. 2048 / तक / 1 / 2000 / 7 / सा. / 226 / 2000 भोपाल दिनांक 22.06.2000

———

पंजीयन कार्यालयों के निरीक्षण के समय मेरे ध्यान में यह आया है कि संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देशित अनुसार उप पंजीयकों द्वारा निर्धारित स्थल निरीक्षण पूर्णतः नहीं किये जा रहे है। एक स्थान पर यह पाया गया कि जिस दस्तावेज का स्थल निरीक्षण उप पंजीयक ने किया है उसके आगे पंजी में सिर्फ यह लिखा है कि – ''देखा तथा सही पाया''। अर्थात क्या देखा तथा क्या सही पाया, यह सिर्फ संबंधित उप पंजीयक को ही पता है। यह स्थिति उचित नहीं है। वस्तुतः स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन विस्तृत तथा पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए जिसमें स्थल पर संपत्ति की स्थिति तथा निकाले गये बाजार मूल्य के आधार का विवरण होना चाहिये। स्थल निरीक्षण के समय म.प्र. लिखतो का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियम 5 में उपवर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / 1192 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 20.05.2002

प्रतिलिपि –

समस्त जिला पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश